न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर

अजीज अहमद——बनाम——अज्ञात

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3)दं0प्र0सं0

थाना—कोतवाली नगर,सुलतानपुर।

दिनांकः 12.09.2018

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी।विगत तिथि पर प्रार्थनापत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रार्थनापत्र अजीज अहमद द्वारा विपक्षी के विरूद्ध धारा—156(3)दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र में इस आशय का कथन अंकित किया गया है कि प्रार्थी की गाड़ी नम्बर यू0पी044क्यू/5338 इण्डिको कार सीएस क्रीम कलर का मालिक है। दिनांक 03.12.2017 ई0 को शादी में गया था की अज्ञात चोरों ने उसकी कार चुरा लिया। प्रार्थी ने काफी ढूंढा परन्तु उसकी कार नहीं मिली। घटना की सूचना थाने पर व पुलिस अधिकारियों को दी गयी कोई कार्यवाही न होने पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

थाने से आख्या तलब की गयी जो प्राप्त होकर पत्रावली पर मौजूद है।

उपलब्ध प्रपत्रों एवं अभियोगी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में किए गए कथनों के आधार पर प्रस्तुत मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है जो विवेचना से ही सम्भव है अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर मामले की विवेचना कराए जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक सुलतानपुर को आदेशित किया जाता है कि वह आपराधिक वाद दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करें।

sd/-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

सुलतानपुर।

12.09.2018